



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(108)परि/नियम/मु./2010/9065

जयपुर, दिनांक: 25/05/2021

कार्यालय आदेश.06./2021

विषय:- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक दिनांक 30.06.1989, 22.04.1991, 15.07.1994, 06.08.1996, 25.09.1997, 05.06.1999, 18.08.1999, 22.11.2005, 23.01.2012, 19.07.2013, 14.06.2018 एवं 02.12.2020 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित जिला परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य के वाहनों का पंजीयन करने हेतु आवंटित शब्द समूह RJ के पश्चात् उनके पद नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्यालय	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन कोड
1.	जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण	पंजीयन अधिकारी, पोकरण	RJ55
2.	जिला परिवहन कार्यालय, सादुलशहर	पंजीयन अधिकारी, सादुलशहर	RJ56
3.	जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर	पंजीयन अधिकारी, सुमेरपुर	RJ57

(महेन्द्र सोनी)

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक प.7(108)परि/नियम/मु./2010/9066-72

जयपुर, दिनांक: 25/05/2021

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव